

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स0क0निग0-101/2025-...../श्रीमती सुगंधा शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय के विरुद्ध पेन ड्राईव में आंगनबाड़ी सेविकाओं की चल रही हड़ताल को जारी रखने एवं इसे वापस नहीं लेने का दबाव बनाने संबंधी बात-चीत करने इत्यादि का आरोप लगाया गया है। अतएव इन आरोपों के आलोक में श्रीमती सुगंधा शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती सुगंधा शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1. निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के नियम-10 के प्रावधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
2. निलंबन अवधि में निलंबन अवधि का मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ निर्धारित किया जाता है।
3. विभागीय कार्यवाही के संबंध में आदेश अलग से जारी किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी
समाज कल्याण विभाग।
पटना-15 दिनांक -

ज्ञापांक :- स0क0निग0-101/2025-

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी
समाज कल्याण विभाग।
पटना-15 दिनांक - 17.3.2025

ज्ञापांक :- स0क0निग0-101/2025- 1871

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर/पूर्णियाँ/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु)/श्रीमती सुगंधा शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
समाज कल्याण विभाग।

ई-मेल /
निबंधित